कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

//निविदा सूचना//

निविदा विज्ञप्ति कमांक /3568/2022 दुर्ग, दिनांक 27/12/2022

जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के जिला मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालय (भिलाई–3 एवं पाटन) के न्यायालय कक्षों एवं न्यायाधीश के विश्राम कक्षों में संस्थापन हेतु ए.सी. कय किया जाना है।

छ.ग. लोक निर्माण विभाग (विद्युत एवं यांत्रिकी) के लिए दिनांक 01.06.2020 से प्रभावी SOR में ए.सी. के विवरण एवं उसमें वर्तमान आवश्यकतानुसार संशोधन उपरांत निम्नलिखित तकनीकी विशिष्टियों की ए.सी. कय किया जाना प्रस्तावित है:–

S.No.	Description	Unit
01	Approved make **2.0 ton split** type Air Cconditioner 5 **Star** unit with cooling unit **(copper coil)** and condensing unit (copper coil) including 5 years compressor warranty and standard length of upto 3 metre of copper piping with insulation, etc complete as per specification. **(Make-Blue Star/Voltas/Daikin/L.G./Samsung)** **and** **Installation** of aforesaid A.C. unit, cooling unit on wall inside and condensing unit on out side wall/celling/floor at desired locations with existing standard length of copper piping with insulation and good quality MS frame etc. complete as per specification. (Extra length of copper piping shall be paid extra on per meter basis)	34
02	Approved make **1.5 ton split type** Air Cconditioner 5 **Star** unit with cooling unit **(copper coil)** and condensing unit (copper coil) including 5 years compressor warranty and standard length of upto 3 metre of copper piping with insulation, etc complete as per specification. **(Make-Blue Star/Voltas/Daikin/L.G./Samsung)** **and** **Installation** of aforesaid A.C. unit, cooling unit on wall inside and condensing unit on out side wall/celling/floor at desired locations with existing standard length of copper piping with insulation and good quality MS frame etc. complete as per specification. (Extra length of copper piping shall be paid extra on per meter basis)	17

(ए.सी. की संख्या आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय है।)

प्रभारी अधिकारी (नजारत)
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (छ.ग.)

अतः ब्लू स्टार/वोल्टास/डाईकिन/एल.जी./सैमसंग कम्पनियों के निर्माताओं/अधिकृत विक्रताओं/अधिकृत प्रतिनिधि से उपरोक्त विशिष्टियों वाले एयर कंडिशन प्रदाय किये जाने हेतु **मुहरबंद** निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्ते एवं नियम निम्नानुसार है:–

01. निविदा में उपरोक्त क्रय किये जाने वाले प्रत्येक ए.सी. की कीमत एवं इंस्टालेशन की राशि **जी.एस.टी. सहित**, कुल आवश्यक यूनिट की राशि के योग सहित प्रस्तावित किया जावे। परिवहन, पेकेजिंग या हेंडलिंग के मद में कोई अतिरिक्त राशि देय नही होगा। इंस्टालेशन एवं उसमें लगने वाले लागत पर विचार हेतु निविदाकार फर्म यदि चाहे तो इंस्टालेशन वाले स्थान का अवलोकन कर सकता है और निविदा में निम्न प्रोफार्मानुसार राशि उल्लेखित किया जाना आवश्यक है :–

क्रं.	विवरण	राशि प्रतियुनिट	जी.एस.टी.	योग
1.	संपूर्ण ए.सी. युनिट 2.0 टन			
2.	संपूर्ण ए.सी. युनिट 1.5 टन			
3.	इंस्टालेशन चार्ज			
4.	अतिरिक्त कापर पाईपिंग प्रतिमीटर की दर से			
			कुल योग–	

क्रं.	विवरण	आवश्यक संख्या	योग राशि रूपये में
1.	ए.सी. युनिट 2.0 टन, इंस्टालेशन चार्ज एवं अतिरिक्त पाईपिंग सहित एक संपूर्ण युनिट का खर्च जी.एस.टी. सहित	34	
2.	ए.सी. युनिट 1.5 टन, इंस्टालेशन चार्ज एवं अतिरिक्त पाईपिंग सहित एक संपूर्ण युनिट का खर्च जी.एस.टी. सहित	17	
		कुल योग–	

प्रभारी अधिकारी (...)
...जीय विज्ञान एवं ... महाविद्यालय
... (छ.ग.)

02. निविदाकार फर्म को प्रदाय की जाने वाली सामग्री का वारंटी पीरियड में संपूर्ण देखभाल एवं मरम्मत किये जाने हेतु लिखित वचनबंध (Undertaking) निष्पादित किया जाना होगा। न्यूनतम दर पर अधिकतम अवधि के लिये वारंटी देने वाले कंपनी/फर्म को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

03. निविदाकार फर्म का कार्यालय/सर्विस सेंटर जिला दुर्ग अथवा समीपवर्ती जिले में संचालित हो। (निविदाकार फर्म निविदा प्रपत्र में अपने कार्यालय का नाम, प्रोपाईटर का नाम, ईमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से अंकित करेंगे।)

04. प्रत्येक निविदाकार को अमानत राशि (EMD) के रूप में चौबीस हजार रूपये (24,000/–रूपये) अदा किया जाना होगा। यह अमानत राशि सफल निविदाकार के अतिरिक्त अन्य निविदाकार को 15 दिवस में वापसी योग्य होगी।

05. सफल निविदाकार को सुरक्षानिधि के रूप में बहत्तर हजार रूपये (72,000/–रूपये) क्रय आदेश जारी किये जाने के पूर्व अदा किया जाना होगा।

06. यह अमानत राशि/सुरक्षा निधि नगद जमा नहीं लिया जावेगा। यह राशि चालान के माध्यम से लेखा शीर्ष "8443 सिविल जमा राशियां" अथवा "103 प्रतिभूति जमा" में जमा कर चालान की मूल पावती प्रस्तुत किया जावेगा। अथवा भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी राशि जमा की जा सकेगी।

07. यह अमानत राशि/सुरक्षा निधि सामग्री प्रदाय किये जाने एवं उसके संस्थापन उपरांत कार्य संतोषप्रद पाये जाने के उपरांत वापसी योग्य होगी।

08. सफल निविदाकार फर्म को क्रय आदेश जारी किये जाने के उपरांत 07 कार्य दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा। इंस्टालेशन, परिवहन, पेकेजिंग या हेंडलिंग के मद में निविदात्मक दर के अतिक्ति कोई राशि देय नही होगा।

09. निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी एंड टी विभाग से अधिकृत कोरियर के माध्यम से अथवा जिला न्यायालय नये भवन परिसर के मुख्य द्वार के समीप रखे गये टेंडर बॉक्स में व्यक्तिगत रूप से निर्धारित अंतिम तिथि के अंतिम समय तक डाला जा सकता है, जो यथाशीघ्र खोला जावेगा।

27/12/22

प्रभारी अधिकारी (भण्डार)
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (छ.ग.)

10. बंद लिफाफे / रजिस्टर्ड लिफाफे के उपर "ए.सी. हेतु निविदा प्रस्ताव" स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक है।

11. जिला न्यायालय, दुर्ग के वेबसाईट का पता https://districts.ecourts.govt.in/durg है।

12. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा प्रपत्रों, ईमेल से प्रेषित निविदा अथवा खुले लिफाफे में प्रेषित निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी। **निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि, दिनांक 27/01/2023 को शाम 4.00 बजे तक है।**

13. किसी भी निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी निविदा प्रस्ताव में किसी शर्त का उल्लंघन होने अथवा आदेश का पालन नहीं किये जाने पर या अन्य कोई अनियमितता पाये जाने पर उक्त निविदा प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का अंतिम अधिकार माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, दुर्ग को होगा।

(प्रभारी अधिकारी)
नजारत अनुभाग
जिला न्यायालय, दुर्ग

(माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित)